न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 955–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–03–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 41/अपील/2014–15.

....

1–नासिर पिता इशाक नायता
निवासी ग्राम जेतपुरा तहसील सांवेर जिला इंदौर
2–जाकिर पिता इशाक नायता
निवासी ग्राम खजराना तहसील व जिला इंदौर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

लक्ष्मण सिंह पिता गुलाब सिंह मृतक तर्फे वारिस :–
रमेश पिता लक्ष्मीनारायण त्र
निवासी ग्राम धरमपुरी तहसील सांवेर जिला इंदौर

.... अनावेदक

....

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री टी.टी.गुप्ता व श्री ओ.पी.शर्मा, अभिभाषकगण–अनावेदक

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 31.1.17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम सोलसिंदा में स्थित कुल रकबा 1.566 हेक्टेयर रही है व उक्त भूमि के खसरा पंचसाला वर्ष 1990 से 2000 तक निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 1995–96 में बिना किसी आदेश के आवेदक कमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है तथा पश्चातवर्ती प्रकम में आवेदक कमांक 2 का नाम दर्ज कर दिया गया है । अतः उक्त प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण का नाम कम किया जाकर अनावेदक का नाम दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 06/अ–6–अ/14–15 दर्ज कर दिनांक 18–5–15 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–3–16 को आदेश पारित कर अपील समय सीमा में मान्य की जाकर प्रकरण एल.सी.आर. मंगाये जाने हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक को इस तथ्य की जानकारी थी कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 18–5–15 को आदेश पारित किया जा चुका है उसके पश्चात् भी 3 माह की लम्बी अवधि के पश्चात् असत्य आधारों पर विलम्ब माफी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक स्वयं विचारण न्यायालय में उपस्थित होता रहा है, अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका पर नोट भी किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अनावेदक को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही थी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय

अधिकारी का आदेश अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय सीमा में मान्य कर प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही किये जाने हेतु नियत किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण होना है जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, आदेश में यह उल्लेख करने से कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को को पृथक से लेखबद्ध किया गया है, आदेश की निरन्तरता नहीं होकर अस्पष्टता उत्पन्न कर रही है, अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे समय सीमा के बिन्दु पर बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–03–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर